# न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

**अपील संख्याः— 155/17 (RCMS No. 2017/00168) (76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)**

रामसहाय दत्तक पुत्र माधो जाति मीना निवासी ग्राम सीनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. बाबू पुत्र बीरबल
2. मुरारी पुत्र बीरबल
3. लड्डो पत्नि बीरबल
4. जयराम पुत्र मांग्या
5. लाडबाई पुत्री हरिनारायण

जाति मीना निवासी ग्राम सीनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर

6. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 14.07.2015 एवं नामा0 सं0 364 दिनांक 14.02.08 वांके ग्राम सीनोली द्वारा तहसीलदार स0 माधोपुर

उपस्थितिः—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट

**निर्णय** **दिनांक :—29.12.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 14.07.2015 एवं नामा0 सं0 364 द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 14.02.2008 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि माधो पुत्र मांग्या जाति मीना के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 364 रामसहाय पुत्र हरिनारायण, लाडवाई पुत्री हरनिारायण हि0 1/3 हिस्सा बराबर, बीरबल, जगराम पिसरान मांग्या हि0 2/3 हिस्सा बराबर जाति मीना के नाम तहसीलदार स0 माधोपुर द्वारा दिनांक 14.02.2008 को दर्ज किया था। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी ग्राम सीनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर माधो पुत्र मांग्या के नाम खातेदारी में दर्ज थी। माधो के कोई संतान नही थी। इसलिये मृतक माधो ने 20 वर्ष पूर्व अपीलान्ट को गोद ले लिया था। माधो की मृत्यु दिनांक 07.01.2007 को हो गई। जिसके सभी क्रियाकर्म दत्तक पुत्र होने के नाते अपीलान्ट ने किये थे इसलिये मृतक माधो की आराजी का नामा0 अपीलान्ट के नाम ही खोला जाना चाहिये था। रैस्पो0 का उक्त आराजी में कोई हक नही है। लाडवाई पुत्री

हरिनारायण अपने ससुराल आबाद हो चुकी है। रैस्पो0 सं0 1 के पिता बीरवल व रैस्पो0 सं0 2 ने गॉव वालों के समक्ष लिखे गये स्टाम्प में अपीलान्ट को दत्तक पुत्र होना माना है। पटवारी ने जानबूझ कर उक्त नामा0 को ग्राम पंचायत के समक्ष नही रखकर तहसीलदार से तस्दीक कराया है। अपीलान्ट मृतक माधो का गोद पुत्र है। पटवारी को गोद पुत्र होने का प्रमाण पटवारी को दिया था किन्तु उसने नामा0 में उल्लेख नही किया। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त किया जावे तथा मृतक माधो की आराजी का नामा0 अपीलान्ट के नाम दर्ज की जावे। रैस्पो0 ने अपीलान्ट के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि अपीलान्ट ने गोद पुत्र होने के संबंध में विधि सम्मत् साक्ष्य पेश नही की है और न ही रजिस्टर्ड गोदपत्र ही पेश किया तथा नामा0 को सही बताया। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के कथनों से सहमत होते हुऐ अपील खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

रैस्पो0 की तामील हो चुकी है। रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही आया। अपीलान्ट अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं सजरा का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया है। मांग्या के हरिनारायण, माधो, बीरबल व जगराम थे। इनमें से माधो व जगराम अविवाहित थे। अपीलान्ट के पिता हरिनारायण काफी समय पूर्व फौत हो चुके थे। इसलिये अपीलान्ट की सार संभाल मृतक माधो ने ही की थी। माधो के फौत होने पर हिन्दु शास्त्र के अनुसार उसके सारे क्रिया कर्म अपीलान्ट ने ही दत्तक पुत्र की हैसियत से किये थे। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में अपीलान्ट के मृतक माधो की पगड़ी भी सातों गॉवों के पंच पटेलों की उपस्थिति में बांधी गई थी। पंचनामा पर रैस्पो0 बाबू, मुरारी व जगराम के भी हस्ताक्षर सहमति के बाबत् हो रहे हैं। रैस्पो0 जगराम की उम्र 70 वर्ष के करीब की है। जगराम भी अविवाहित होने के कारण बाबू, मुरारी के पास ही रहता है। जगराम के हिस्से की आराजी को रैस्पो0 बाबू, मुरारी ही काश्त करते हैं, जबकि मृतक माधो के हिस्से की आराजी पर मृतक माधो के जीवनकाल के समय से अपीलान्ट का ही भौतिक कब्जा चला आ रहा है। उनका तर्क है कि विरासत के नामा0 को तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है, न कि तहसीलदार को। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.07.2015 एवं नामा0 आदेश दिनांक 14.02.2008 निरस्त किये जावे तथा मृतक माधो पुत्र मांग्या के हिस्से की आराजी का इन्द्राज अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मांग्या के चार पुत्र माधो, हरिनारायण, बीरबल व जगराम थे। इनमें से माधो व जगराम अविवाहित थे। माधो फौत हो चुका है। अपीलान्ट के पिता हरिनारायण काफी समय पूर्व फौत हो चुके थे। अपीलान्ट का कथन है कि ''मृतक माधो ने अपने जीवनकाल में रामसहाय को गोद ले लिया था। अपीलान्ट की सार संभाल मृतक माधो ने ही की थी। माधो के फौत होने पर हिन्दु शास्त्र के अनुसार उसके सारे क्रिया कर्म अपीलान्ट ने ही दत्तक पुत्र की हैसियत से किये थे। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में अपीलान्ट के मृतक माधो की पगड़ी भी सातों गॉवों के पंच पटेलों की उपस्थिति में बांधी गई थी। पंचनामा पर रैस्पो0 बाबू, मुरारी व जगराम के भी हस्ताक्षर सहमति के बाबत् हो रहे हैं।'' हमने पत्रावली में उपलब्ध पंचनामा का अवलोकन किया। पंचनामे के अनुसार कई गॉवों के पंचों ने मृतक माधो का उत्तराधिकारी अपीलान्ट रामसहाय को माना है जिस पर रैस्पो0 बाबू लाल, मुरारी लाल व जगराम के हस्ताक्षर है व रैस्पो0 बाबू व मुरारी के पिता बीरबल की निशानी अंगूठा हो रहे है। अन्य कई ग्रामों के पंचों के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा

हो रहे हैं। यह पंचनामा मजमे आम में सबकी सहमति से लिखा गया है। जिस पर सभी के सहमति के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट ने पगड़ी रस्म के फोटो व दावत आदि के फोटो भी पेश किये है। जिनसे भी उक्त कथन की ताईद होती है। यह आवश्यक नही है कि पंचनामा/गोद पत्र रजिस्टर्ड ही हो। यदि पंच पटैलों ने समाज के समक्ष कोई दस्तावेज लिखकर दिया है तो वह दस्तावेज अहम दस्तावेज है और अक्सर ग्रामों में ऐसा होता है। इसके अलावा रैस्पो0 के भी उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हैं। रैस्पो0 को इस न्यायालय द्वारा तलब किया गया। बाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि उन्हें अपीलान्ट के विरूद्ध कोई पक्ष नही रखना है तथा उक्त पंचानामे से सहमत हैं। इस प्रकरण में एक तथ्य यह भी सामने आता है कि रैस्पो0 जगराम भी अविवाहित होने के कारण बाबू मुरारी के पास ही रहता है। जगराम के हिस्से की आराजी को रैस्पो0 बाबू मुरारी ही काश्त करते हैं। यह तथ्य भी पंचनामे में भी अंकित किया है। पंचनामे के अनुसार अपीलान्ट ने ही मृतक माधो के सभी क्रिया कर्म संस्कार किये हैं। ऐसी स्थिति में पंचनामे को न्याय संगत मानते हुऐ स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पंचानामे पर कोई गौर नही करते हुऐ जो निर्णय पारित किया है, वह न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.07.2015 एवं नामा0 आदेश दिनांक 14.02.2008 निरस्त किये जाते हैं तथा मृतक माधो पुत्र मांग्या के हिस्से की समस्त आराजी वॉके ग्राम सीनोली पर अपीलान्ट रामसहाय दत्तक पुत्र माधो जाति मीना निवासी सीनोली तहसील व जिला स0मा0 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official